राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1134/2023

श्रीमती दर्पण जैन

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.04.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुरा जिला कोटा से नन्दलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोही जिला राजसमंद में किया गया है। अपीलार्थी पूर्व में उक्त स्थानांतरण आदेश को इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 683–2023 प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। जिसमें इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 02.02.2023 पारित कर अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये थे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये थे कि अभ्यावेदन पर आख्यात्मक कार्य पारित करें। उक्त आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 17.03.2023 पारित किया है। उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 के जरिये अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 17.03.2023 को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष इस अपील के जरिये चुनौती है। साथ ही स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.12.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दूर किया गया है, जिससे अपीलार्थी के बच्चों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपीलार्थीया की सास वृद्ध है। उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया। हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन का निस्तारण उचित कारण दर्शाते हुए खारिज किया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह भी प्रकट हुआ है

कि अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

3. अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है, ऐसे में आदेश की पालना हो चुकी है। इसके अलावा अभ्यावेदन के निस्तारण के आदेश में कोई त्रुटि होना हम नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।
4. आदेश आज दिनांक 13.04.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)